NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 243/NCRES/76/21 Date : 16.12.2021

श्रीमान महाप्रबंधक (कार्मिक)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः— GDCE की द्वितीय चरण की परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भः— अध्यक्ष रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उ.म.रे. का पत्र दिनांक 29.11.2021

महोदय,

NCRES के द्वारा प्रत्येक फोरम से GDCE की परीक्षा जल्द कराने की मांग करने पर दिनांक 4 अगस्त से 6 अगस्त 2021 तक GDCE की परीक्षा सम्पन्न करायी गई, व परीक्षा का परिणाम घोषित कर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का जहाँ आवश्यक था Aptitude Test, टाइपिंग टेस्ट, आदि कराकर मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया।

यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त परीक्षा के पारदर्शिता के सम्बन्ध में भ्रान्तियाँ फैलाई गई व माननीय कोर्ट इलाहाबाद में वाद भी दायर किया गया जिससे माननीय न्यायधीश द्वारा रेल भर्ती प्रकोष्ठ के पक्ष में निर्णय दिया गया व वाद को खारिज कर दिया।

आगे अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन.जी.)।—2008/पी.एम.1/6 दिनांक 10.6.2015 द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि GDCE में कम संख्या में रेलवे कर्मचारियों के शामिल होने को देखते हुये सभी पदो के लिये GDCE एक चरण में आयोजित किया जाय।

किन्तु खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि माननीय कैट के द्वारा रेल भर्ती प्रकोष्ठ के पक्ष में निर्णय व रेलवे बोर्ड के निर्देशो के बावजूद भी अध्यक्ष रेल भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 29.11.2021 को पत्र जारी कर कोटि सं0 1 (सहा0 स्टेशन मास्टर), कोटि सं0 2 (गुड्स गार्ड), कोटि सं0 4 (वरिष्ठ लिपिक सह टंकण), कोटि सं0 5 (वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक) कोटि सं0 6 (वाणिज्य लिपिक सह टिकट क्लर्क) कोटि सं0 7 (कनिष्ठ लिपिक सह टंकण) कोटि सं0 8 (गाड़ी लिपिक/परि0) कोटियों में 2nd Stage Exam कराने हेतु आदेशित किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता और यह उत्तीण अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी है।

अतः "संघ" का अनुरोध है कि अध्यक्ष रेल भर्ती प्रकोष्ठ के द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.11.2021 को निरस्त करने के लिये उचित आदेश करने का कष्ट करें जिससे अन्तिम रूप से चयनित कर्मचारियों को न्याय मिल सके। कृपया कृत कार्यवाही से "संघ" को अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री